G. R 277/17

दिनांक 19.08.19

अभियुक्त रंजीत कुमार की ओर से नूतन शक्ति पत्र के साथ आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन प्रचारित हुआ। वाद पुकार पर अभियुक्त उपस्थित हुए। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। जमानत की प्रति विद्वान सहायक एवं अभियोजन अधिकारी को प्राप्त करायी गयी।

जमानत पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त पूर्व में पुलिस बेल पर थे। तथा आरोप पत्र समर्पण के बाद संज्ञानोपरांत अभियुक्त को समन भेजा गया। समन प्राप्ति के बाद अभियुक्त ने श्रीमान के न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इससे पूर्व अभियुक्त ने किसी भी न्यायालय में कोई भी जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है और न ही खारिज है। आवेदक अभियुक्त ने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। इन्हें जमीन संबंधी विवाद में फंसाया गया है। अभियुक्त पर आरोपित सभी धाराएं जमानतीय है। केवल धारा 379 को छोड़कर जो कि मामले को अलंकृत करने हेतु लगाया गया है। श्रीमान से प्रार्थना है कि अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा प्रदान की जाय।

जमानत के बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त का धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504, 354ए ,354सी, 379/34 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। सभी धाराएं जमानतीय है, सिवाय धारा 379 जो कि माामले को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है तथा संज्ञानोपरांत अभियुक्त की यह प्रथम उपस्थिति है। ऐसी स्थिति में मौ0 10000/2 के समान राशि का बंध पत्र न्यायालय में दाखिल करने पर, इस निर्देश के साथ की अभियुक्त आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगे; अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
मंझौल बेगूसराय

पश्चात – 19.08.19 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से बंध पत्र दाखिल किया गया है, जिसे जांचोपरांत सही पाकर स्वीकृत किया जाता है एवं अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
मंझौल बेगूसराय